



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ () जविप्रा/उपा/जोन-12/2021/डी- 2146

दिनांक : 13-7-2021

गोकुलकृपा बिल्डटेक प्रा.लि.
जरिये निदेशक श्री गंगा सिंह तवर
निवासी 1, शिव शंकर कालोनी, मानसरोवर
मेट्रो स्टेशन के सामने गोपालपुरा बाईपास,
बदरवास मानसरोवर, जयपुर।

विषय :- ग्राम महाराजपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 74/2, 77/1, 78/2, 106/74, 108/75, 110/78 क्षेत्रफल 01.0374 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना "दा रॉयल सिटी विस्तार" का मानचित्र जारी करने बाबत।

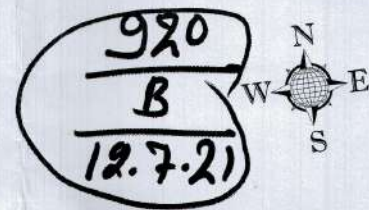
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम महाराजपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 74/2, 77/1, 78/2, 106/74, 108/75, 110/78 क्षेत्रफल 01.0374 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना "दा रॉयल सिटी विस्तार" का मानचित्र का अनुमोदन बीपीसी-(एलपी) की 299वीं बैठक दिनांक 04.06.2021 को किया जा चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में अनुमोदिन योजना के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है। उन भूखण्डों को विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आंतरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर तथा रहन मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त, जोन-12,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

PROPOSED LAYOUT PLAN OF "THE ROYAL CITY EXTENSION"

IN KHASRA NO.:- 74/2,77/1,78/2,106/74,108/75,110/78
AT VILL.:- MAHARAJPURA, TEH.:- JAIPUR, JAIPUR.



X = 565928.73
Y = 2974209.95

X = 566011.15
Y = 2974172.99

X = 565931.86
Y = 2974022.94

X = 565967.53
Y = 2974009.09

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन
जोन-12

नोट

- कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 80% की कार्यवाही दिनांक 01.03.2021 व दिनांक 12.03.2021 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा.अभिनियम की धारा 80ए की कार्यवाही प्राथित अधिकारी द्वारा एवं भीके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एजेंड में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 34, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45 तक कुल भूखण्ड 8 कुल क्षेत्रफल 740.25 वर्गमीटर है, जो जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुरू जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 299 वीं बैठक दिनांक 04.08.2021 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का दृ-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-1 (आवासीय) है एवं नगर निगम सीमा में स्थित है।
- योजना मानचित्र में मोबाईल टावर हेतु पृथक से भूमि आवंटित की गई है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सेटबैकस जविप्रा (जयपुर रीजन नगर) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

सहायक नगर नियोजक
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

GAD MAX CONSULTANCY PVT. LTD.
301-302, Prim Tower,
Opp. Rajasthan Police Head Quarter,
Lal Kothi Scheme, Jaipur.
Ph: 0141-4133111

क्षेत्रफल विश्लेषण			
क्रमांक	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	प्रतिशत (%)
1.	आवासीय	5709.24	55.03 %
2.	रिटेल कॉमर्शियल	90.00	0.87 %
3.	पार्क	519.24	5.01 %
4.	सीनिक वेस्ट डिस्पोजल	50.00	0.48 %
5.	मोबाईल टावर	10.00	0.10 %
6.	जोनल प्लान सड़क	1093.32	10.54 %
7.	सड़क	2902.20	27.98 %
कुल योजना का क्षेत्रफल		10374.00	100.00 %

कुल आवासीय भूखण्ड - 53
रिटेल शॉप - 10

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सूचक



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार दृ-उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्णय तालिका -
1. कुल आवासीय भूखण्ड = 53
2. कुल नगर प्लान सड़क = 8-10

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	5709.24	55.03 %
2	RETAIL	90.00	0.87 %
TOTAL = (1+2)		5799.24	55.90 %
3	PARK	519.24	05.01 %
4	S.W.M.	50.00	0.48 %
5	MOBILE TOWER	10.00	0.10 %
6	ZONAL ROAD	1093.32	10.54 %
7	ROAD	2902.20	27.97 %
TOTAL = (3 TO 7)		4574.76	44.10 %
SCHEME AREA		10374.00	100.00 %
		01.0374 HECT.	

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अभिनियम की धारा 80 ए की कार्यवाही एवं भीके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया।
योजना की भूमि की रा.भू.रा. अभिनियम में निहित हो चुकी है।

नगर नियोजक
नगर नियोजक
वरिष्ठ नगर नियोजक

योजना का नाम:-
"THE ROYAL CITY EXTENSION"

जोन संख्या = 12
स्केला - 1:500

सहायक नगर नियोजक
ज.वि.प्रा.
नगर नियोजक
वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण
सलाहकार:-
Cad max
CONSULTANCY PVT. LTD.
A Complete Data Studio
20-30, WING 2000, 4th FLOOR
KOTHI, JAIPUR, RAJASTHAN
Ph: 0141-4133111